

**मांग संख्या 06**  
**मुख्य शीर्ष 2052**

**मद क्रमांक 1**

राज्य शासन द्वारा द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसके स्थापना एवं कार्यालय संचालन के लिए आकस्मिक निधि से ` 25.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है। इसकी प्रतिपूर्ति हेतु ` 25.00 लाख सहित स्थापना अनुदान मद में ` 75.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

संचालनालय संस्थागत वित्त के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर ` 1.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 से 4**

यूरोपीयन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर ` 3.06 लाख एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर ` 5.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु कुल राशि ` 8,06,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2054**

**मद क्रमांक 5**

खजाना स्थापना के अंतर्गत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन पर ` 12.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

संभागीय स्थापना के अंतर्गत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन पर ` 2.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन के लिए वेतन भुगतान पर ` 23.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

यूरोपीयन कमीशन साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यालय व्यय एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए ` 69.74 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 69,74,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2071**

**मद क्रमांक 9**

अंशदायी पेंशन योजना में राज्य शासन के अंशदान के लिए ` 2700.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 27,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4425**

**मद क्रमांक 10**

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सुदृढीकरण हेतु राज्य शासन के अंशदान के रूप में अंशपूंजी धनवेष्टन मद में ` 1350.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 13,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।